विद्यालय - ST. XAVIERS SCHOOL (P62111) आवेदन क्रमांक : 36785

मान्यता कोड : RJDLP30924

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी DHAULPUR , राजस्थान

क्रमांक: 190 दिनांक 03/03/2021

सचिव

प्रबंध समिति

ST. XAVIERS SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप– नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र|

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 36785 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, ST. XAVIERS SCHOOL पता SUA KA BAGH VIRONDHA ROAD DHOLPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय VIPARPUR ब्लॉक DHOLPUR को शैक्षिक सत्र 2020-21 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

मान्यता का प्रकार	क्रमोन्नति
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारंभिक, धौलपुर

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S SCHOOL
Sua Ka Bagh Birondha Road
Dholpur (Raj.)

For- SOCIETY OF PILAR
Punjab Haryana B... Dholpur
Chairman/Manager/Asst. Manager

विद्यालय - ST. XAVIERS SCHOOL (P62111) आवेदन क्रमांक : 36785

मान्यता कोड : RJDLP30924

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी DHAULPUR , राजस्थान

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस – पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा ।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा– अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;
(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
(VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए
(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं
(VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा ।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय– समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S SCHOOL
Sua Ka Bagh Birondha Road
Dholpur (Raj.)

For– SOCIETY OF PILAR
Punjab Haryana & Dholpur
Chairman/Manager/Asst. Manager

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा. शिक्षा, धौलपुर

विद्यालय - ST. XAVIERS SCHOOL (P62111) आवेदन क्रमांक : 36785

मान्यता कोड : RJDLP30924

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी DHAULPUR , राजस्थान

19. विद्यालय को यह मान्यता शासन के पत्र क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 दिनांक 25.11.2020 एवं दिनांक 12.01.2021 के अनुसरण में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए अस्थायी रूप से निम्न शर्तो के अध्यधीन दी जाती है

(i) शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं इससे पूर्व के सत्रो से स्वयं के भवन अथवा पंजीकृत किराएनामे के आधार पर किराए के भवन में संचालित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूरूपान्तरण की अनिवार्यता में शिथिलन प्रदान करते हुए आगामी 3 वर्ष (शैक्षिक सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) की अवधि तक अस्थायी छूट प्रदान कर उक्त स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त समयावधि में संस्था को शैक्षणिक/संस्थानिक रूपान्तरित भूमि पर भवन बनाकर संस्था को स्थानान्तरित करना आवश्यक होगा, अन्यथा संस्था को दी गई मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। उक्त अवधि समाप्ति के बाद संस्था को भूरूपान्तरण में किसी भी प्रकार का शिथिलन नहीं दिया जावेगा।
(ii) इस अवधि में नियमानुसार भूमि रूपांतरण करवा कर भूमि रूपांतरण के दस्तावेज सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
(iii) निर्धारित अवधि में नियमानुसार भूमि रूपांतरण नहीं होने पर मान्यता प्रभावी नहीं रहेगी तथा इन कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थीयों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
(iv) विद्यालय द्वारा इस आशय का परिवाचन (Undertaking) क्षतिपूर्ति बंध पत्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक, धौलपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 रक्षित पत्रावली।

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक, धौलपुर

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S SCHOOL
Sua Ka Bagh Birondha Road
Dholpur (Raj.)

For– SOCIETY OF PILAR
Punjab Haryana Br. Dholpur
Chairman/Manager/Asst. Manager

प्रारूप न0 2

(नियम 8–क का उप नियम (4) देखिये)

ई–मेल:–deoeledhoipur@gmail.com

फोन / फैक्स न005642–221156

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा धौलपुर राजस्थान

कमांक:जिशिअ / प्रारं / धौ / निजी / मान्यता / आर.टी.ई. / 2014–15 / 985

दिनांक:13.08.2014

सेवामें,

अध्यक्ष / प्रबन्धक

ST. XAVIERS SCHOOL

SUA KA BAGH BIRONDHA RD.

DHOLPUR

विषय:– नियम 8–क के उप नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

आपके तारीख 3-6-2014 के आवेदन और इस संबन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्यात्वर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के सन्दर्भ में, मैं ST. XAVIERS SCHOOL SUA KA BAGH BIRONDHA RD. DHOLPUR (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख 2014-15 से तारीख 2016-17 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अनंतिम मान्यता मंजूर करता हूँ । (अस्थाई, प्राथमिक स्तर, अंग्रेजी माध्यम)

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो कर पुर्ति के अध्यधीन होगी :–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह से कक्षा– से आगे मान्यता / संम्बद्वता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नही होगी ।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ,अधिनियम ,2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ,अधिनियम ,2011 के उपबंधो का पालन करेगा ।
03. विद्यालय कक्षा–1 में या, यथास्थिति पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस–पडौस के कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालको को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा ।
04. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए ,विद्यालय को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ,अधिनियम ,2011 के उपबंधो के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
05. सोसाइटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यवित फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता--पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रकिया का पात्र नहीं बनायेगा ।
06. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नही करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :
    - i. विद्यालय में प्रविश्ठ किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा
    - ii. कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नही होगा ।
    - iii. किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीण करना अपेक्षित नही होगा ।
    - iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ,अधिनियम ,2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा ।
    - v. 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकताके विद्यार्थीयों को सम्मिलित किया जाये ।
    - vi. अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप--धारा(1)के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ सहित भर्ती किये जाये । परन्तु वर्तमान अध्यापक जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं रखते है वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार ,5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें ।

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S SCHOOL
Sua Ka Bagh Birondha Road
Dholpur (Raj.)

For– SOCIETY OF PILAR
Punjab Haryana Br. Dholpur
Chairman/Manager/Asst. Manager

vii. अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने है और

viii. अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापक कियाकलापों में नही लगायेगें ।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यकम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

08. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानको का अनुसरण करेगें अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुविधाऐं निम्नानुसार है ।
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 4808.9 Sq. Mtr.
कुल निर्मित क्षेत्र 4808.9 Sq. Mtr.
खेल–कूंद के मैदान का क्षेत्र 7.62 X 7.62 Sq. Mtr
कक्षा के कमरो की संख्या 20
प्रधानाध्यापक–एवं–कार्यालय–एवं–भंडागार कक्ष 5
लडके और लडकीयों के लिए पृथक–पृथक शौचधर 5+5=10
पीने के पानी की सुविधा Water Cooler, AC 2
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसौई 1
अवरोध मुक्त पहुंच हाँ
अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता हाँ

09. विद्यालय के परिसरो में भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जाएगी ।

10. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे ।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम ,1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21)राजस्थान सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है ।

13. किसी चार्टर्ड अकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्है प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी ।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 01/2014-15 है । कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये ।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिसकी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय के कार्यकरण में त्रृटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें ।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण , यदि कोई हों , सुनिश्चित करें ।

17. सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य शर्ते ।

18. राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग के आदेश कमांकःप.9(2)शिक्षा–5/2010पार्ट जयपुर दिनांकः6.5.13 एवं श्रीमान निदेशक प्रा0शि0 बीकानेर के पृष्ठांकन कमांकःशिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूलमान्यता/13–14 दिनांक 14.05.13 के द्वारा प्राथमिक एवं प्रा0 से उच्च प्राथमिक की मान्यता नियमों दिये गये शिथिलन की पालना में आदेश जारी किये जा रहे है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक धौलपुर

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S SCHOOL
Sua Ka Bagh Birondha Road
Dholpur (Raj.)

For– SOCIETY OF PILAR
Punjab Haryana Br. Dholpur
Chairman/Manager/Asst. Manager

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक धौलपुर , राजस्थान

कमांक:जिशिअ / प्रारं / धौ / निंजी / मान्यता / 2014–15 / 898 दिनांक: 02/7/14

सचिव / व्यवस्थापक

सेन्ट जेवियर स्कूल

बिरौंधा रोड, सुआ का बाग धौलपुर

विषयः–सत्र 2014–15 में प्रा0 स्तर से उ0प्रा0वि0स्तर में कमोन्नती / मान्यता पत्रावली में पाये गये आक्षेपो की पूर्ति करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयार्न्तगत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी शिक्षण संस्था की मान्यता / कमोन्नती हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिसकी निरीक्षण / जॉच उपरान्त निम्न कमियॉ पायी गई है। अतः आप सात दिवस में निम्न कमियों की पूर्ति कर इस कार्यायलय में प्रस्तुत करें । अन्यथा आपके आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा ।

01. भवन नक्शा ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं
02. अध्यापकों के दस्तावेजों की सत्यापित फोटोप्रति संलग्न नहीं
03. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सत्यापित सूची संलग्न नहीं
04. कार्यकारिणी के सदस्यों की सत्यापित सूची संलग्न नहीं
05.
06.
07.
08.
09.
10.

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक धौलपुर

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S SCHOOL
Sua Ka Bagh Birondha Road
Dholpur (Raj.)

For– SOCIETY OF PILAR
Punjab Haryana B: Dholpur
Chairman/Manager/Asst. Manager